अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख स0 118/2018-19

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/3/19	(see below)	

झारखंड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0 दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0 म0 निति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारंभ की गयी। जाच के कम मे हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-

मौजा- [illegible] मौजा न0- 06 खाता न0 196

प्लॉट न0 2167, 2168 रकवा 2एकड़ 15 डि0 [illegible] की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पजी-II के जिल्द संख्या 17 के पृष्ठ संख्या 3769 पर जमाबदी रैयत अशोक कुमार पेश्ता पि- राधेश्याम पेश्ता के नाम से कायम है।

हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अत– उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अंचल–निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनाक 27/3/19 को रखे।

13.3.19

अंचल अधिकारी,

धनबाद।

Scanned by CamScanner

...अंचल निरीक्षक से मतव्य /प्रतिवेदन अप्राप्त है।
...भलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

10/4/19 अभिलेख उपास्थिपित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य मे व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नही हो सका।
अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

10/6/20 अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक मे विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 20/6/20 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

20/6/20 अभिलेख उपस्थपित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा दुहेटाड मौजा न0 06 खाता 196 प्लाट न0 2167, 2168, रकवा 25 डिसमिल भूमि से सबधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नही चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस न0 2321 (II) 06-07 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे सबधित उप निरीक्षक एव अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अत: जॉच प्रतिवेदन के आलोक मे जमाबदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एव संशोधत।

अचल अधिकारी,
धनबाद।

अचल अधिकारी,
धनबाद।

Scanned by CamScanner